3 करोड़ युवाओं को रोजगार

पहले की सरकार नौकरी देने के नाम पर वसूली करती थी

लखनऊ, 15 जुलाई. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए न रोजगार के अवसर थे और न ही पारदर्शी भर्ती व्यवस्था।

उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सरकारी नौकरियों में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार हावी था तथा तत्कालीन सरकार ही प्रदेश की सबसे बड़ी अपशगुन थी। विश्व युवा कौशल दिवस-2026 के अवसर पर गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कौशल विकास मिशन एवं आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पहले नौकरी निकलती नहीं थी और यदि निकलती भी थी तो चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली पर निकल पड़ती थी। उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य नहीं था, बल्कि तत्कालीन सरकारों की सोच और कार्यशैली बीमार थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में राज्य सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, जबकि सवा तीन करोड़ से अधिक युवाओं और कारीगरों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ा गया है।

उन्होंने कहा कि यूनेस्को द्वारा इस वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस की थीम साझा भविष्य के लिए कौशल रखी गई है।

उत्तर प्रदेश दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला प्रदेश है और सरकार इस जनसांख्यिकीय शक्ति को कौशल विकास से जोड़कर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही है।

> योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पहली बार कौशल विकास मंत्रालय का गठन कर इस क्षेत्र को नई दिशा दी। उन्होंने बताया कि अब आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स, ड्रोन, त्रि-आयामी मुद्रण (3डी प्रिंटिंग) और सेमीकंडक्टर जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सुविधाएं केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि महोबा, चित्रकूट, सोनभद्र, बलिया और बहराइच जैसे जिलों तक भी पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री ने ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि कोरोना काल में भी लखनऊ में इसका कार्य जारी रहा और इससे लगभग 500 युवाओं को रोजगार मिला।

नोएडा : पांच मंजिल की इमारत में लगी आग, 2 की मौत

नोएडा, 15 जुलाई. नोएडा के सेक्टर-66 स्थित ममूरा गांव में बुधवार को एक पांच मंजिला रिहायशी इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में 26 वर्षीय महिला स्नेहा और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के समय इमारत में करीब 50 परिवार मौजूद थे। आग लगते ही पूरे भवन में धुआं भर गया और लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलने पर दमकल विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। मालिक (लैंडलॉर्ड) और लीजधारक (ऑपरेटर) को गिरफ्तार कर लिया है। रेस्क्यू अभियान के दौरान इमारत के सामने स्थित दूसरी बिल्डिंग से सीढ़ी लगाकर एक अस्थायी रास्ता बनाया गया। इसी रास्ते से 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दमकल कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में सक्रिय सहयोग किया। कई लोगों को धुएं से बचाने के लिए तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है।

मानहानि मामले में कोर्ट से राहुल गांधी को राहत

लखनऊ, 15 जुलाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बुधवार को राहत मिली। लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज राकेश यादव ने भाजपा नेता विजय मिश्र की ओर से दायर निगरानी याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने स्पेशल मजिस्ट्रेट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने की मांग अस्वीकार कर दी गई थी। इस फैसले के बाद स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित मानहानि मुकदमे की अंतिम बहस का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में अंतिम बहस की कार्यवाही लंबित है.

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब

▶ मेडिकल सुविधा को लेकर दाखिल हुई याचिका

नई दिल्ली, 15 जुलाई. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जारी भूख हड़ताल को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया।

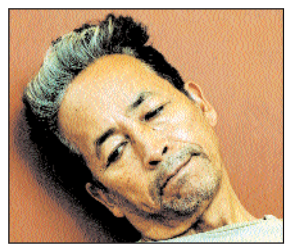

अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार सुबह तक यह बताने को कहा कि वांगचुक को जरूरी मेडिकल सुविधा और उपचार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सोनम वांगचुक 28 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। वह नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान उनकी तबीयत लगातार कमजोर होने की जानकारी सामने आई है.

राजनीतिक फेरबदल की चर्चाएं गर्म

फडणवीस के साथ राकांपा (शरदचंद्र) के नेताओं की देर रात बैठक

मुंबई, 15 जुलाई. महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में मंगलवार देर रात उस समय हलचल तेज हो गई जब दिवंगत अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेताओं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के साथ राकांपा (शरदचंद्र) के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक निवास वर्षा पर एक बंद कमरे में बैठक की.

यह बैठक कथित तौर पर करीब सवा घंटे तक चली, हालांकि इसके एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया है. यह घटनाक्रम राज्य में संभावित राजनीतिक फेरबदल को लेकर चल रही अटकलों के बीच सामने आया है. रिपोर्टों के अनुसार, राकांपा (शरदचंद्र) के प्रमुख शरद पवार अपनी भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर विचार कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक हलकों में यह चर्चाएं गर्म हैं कि उनकी पार्टी का एक धड़ा सत्ताधारी गठबंधन के करीब आ सकता है.

ऑपरेशन टाइगर को लेकर भी चर्चाएं

यह बैठक ऐसे समय में भी हुई है जब राज्य में ऑपरेशन टाइगर को लेकर भी चर्चाएं हैं, जिसके तहत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना हाल ही में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के छह सांसदों को अपने पाले में लाने में कामयाब रही है। इस तरह की रिपोर्टें हैं कि शरद पवार खेमे के कई विधायक राजनीतिक अस्तित्व और विकास संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए सरकार में शामिल होने के इच्छुक हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर मजबूत करेंगे कौशल शिक्षा का ढांचा

नई दिल्ली. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) और ऑस्ट्रेलियाई कौशल गुणवत्ता प्राधिकरण (एएसक्यूए) ने तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) में गुणवत्ता आश्वासन और नियामकीय सहयोग को मजबूत करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किये हैं।

पेज एक का शेष

लखन पटेल को पशुपालन विभाग से हटाया

दिल्ली से संदेश के बाद हटाया : बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास मंगलवार रात लखन पटेल को लेकर दिल्ली से फोन आया था, उसके बाद ही पटेल को आनन-फानन में हटाये जाने का निर्णय लिया गया और रात को ही अधिसूचना भी जारी कर दी गई. इससे पहले पिछले वर्ष कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान से वन विभाग वापस ले लिया गया था, तब ये विभाग कांग्रेस से भाजपा में आए रामनिवास रावत को दे दिया गया था, तब चौहान ने इस मामले में नाराजगी भी जाहिर की थी. हांलाकि बाद में रावत विधानसभा उपचुनाव हार गए थे और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, उसके बाद ये विभाग सीएम के पास चला गया था. **क्या है ताजा मामला :** दरअसल राज्य सरकार प्रदेश में स्वावलंबी गौशालाएं शुरू करने पर गंभीरता से अमल करने के मूड में है. इन तरह की गौशालाएं पूरी तरह आत्मनिर्भर होती. यहां न सिर्फ ऐसे गौवंश को संरक्षित रखा जाता जो कि उम्रदराज और लावारिश है, वहीं उन्नत नस्ल की गौवंश का पालन कर इसे मॉडल गौवंश के रूप में विकसित किया जाना था. यहां 5 हजार से लेकर 25 हजार तक गौवंश रखने की क्षमता होती. जाहिर है कि इस तरह के गौशालाओं के लिए जमीन भी अधिक चाहिए. लिहाजा इस क्षेत्र में काम करने के लिए बड़ी और प्रतिष्ठित संस्थाओं को मौका दिया जाना था, लेकिन संस्थाओं के चयन से लेकर जमीन आवंटन की प्रक्रिया में लापरवाही बरती जा रही थी. संस्थाओं के चयन को लेकर संघ तक ने आपत्ति दर्ज करा दी थी. बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत दिल्ली तक की गई है. शिकायतों के परीक्षण में इसे सही पाया गया, इधर व्यवस्था ठीक करने और काम तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लखन पटेल को पिछले लगभग 6 माह से मुख्यमंत्री भी लगातार सचेत करने के साथ समझाईश भी दे रहे थे, बताया जा रहा है कि जमीन आवंटन और संस्थाओं के चयन में की गई लापरवाही आखिरकार राज्य मंत्री को भारी पड़ी और दिल्ली से मिले निर्देश के बाद पटेल को पशुपालन एवं डेयरी विभाग से हटा दिया गया.

हस्तियों के ट्वीट

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देते हुए सराहना किया है। उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज़्यादा महिलाओं का होना ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा है। खुदा वीमेन इन प्रोग्राम में शामिल ये युवा ऑस्ट्रेलियाई भी इसी का हिस्सा हैं।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने हाल हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि हमारे सभी सैन्य कर्मियों और उन सभी लोगों का, जो हमारी सुरक्षा, देखभाल और एक-दूसरे का ख्याल रखने के लिए खुद को समर्पित करते हैं, सभी फ्रांसीसी लोगों की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद। गणतंत्र अमर रहे, फ्रांस अमर रहे!

नाम सुधार सूचना

मैं मानवेन्द्र सिंह उम्र 54 वर्ष पिता श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी उपरहटी किला सोहावल सतना जिला सतना म०प्र० का हूँ मेरा वास्तविक नाम मानवेन्द्र सिंह है जो मेरे समस्त अभिलेखों में दर्ज है। मेरी पुत्री अपराजिता सिंह बघेल सेंट माइकल हायर सेकेण्डरी स्कूल अमौधा कला सतना जिला सतना म०प्र० से कक्षा 10 वीं की परीक्षा वर्ष 2022 एवं 12वी की परीक्षा वर्ष 2024 में उत्तीर्ण की थी | उसकी अंकसूची में मेरा नाम मानवेन्द्र प्रताप सिंह बघेल लिख गया है जो त्रुटिपूर्ण है जबकि मेरा सही नाम मानवेन्द्र सिंह है एवं मेरे अभिलेखों में भी यही नाम दर्ज है। मेरी पत्नी के नाम की स्पेलिंग RITU SINGH है जो उक्त अंकसूची में त्रुटिवश REETU SINGH दर्ज हो गया है जबकि मेरी पत्नी के अभिलेखों में उनके नाम की स्पेलिंग RITU SINGH लिखा है। अतः मेरी पुत्री अपराजिता सिंह के कक्षा 10वीं एवं 12 वी की अंकसूची में दर्ज मेरा नाम मानवेन्द्र प्रताप सिंह बघेल के स्थान पर मानवेन्द्र सिंह एवं मेरी पत्नी का नाम REETU SINGH के स्थान पर RITU SINGH दर्ज किया जाए जो की सही एवं सत्य है

भवदीयः मानवेन्द्र सिंह

कार्यालय नगर पालिक निगम, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक 2034/न.पा.नि./राजस्व/2026-27
रीवा, दिनांक 14/07/2026

अचल सम्पत्ति नामान्तरण विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व नगर सुधार न्यास रीवा की योजना क्रमांक 8 नेहरु नगर रीवा जो नगर पालिक निगम रीवा के स्वामित्व में है, में स्थित भूखण्ड क्रमांक 2/9/167 सी, क्षेत्रफल 1537.50 वर्गफिट श्री राहुल गुप्ता पिता श्री राजकुमार गुप्ता को 30 वर्षीय लीज पर आवंटित है, उक्त भूखण्ड को श्रीमती प्रियंका गुप्ता पति श्री प्रशांत गुप्ता निवासी नेहरु नगर रीवा (म0प्र0) के नाम नामान्तरण किये जाने हेतु दिनांक 05.02.2026 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड क्रमांक 2/9/167सी, के नामान्तरण में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो, तो समाचार पत्रों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि तक कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा में प्रमाणित अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आवेदन/आपत्ति न तो ग्रहण की जावेगी और न ही मान्य की जावेगी। तत्पश्चात् आवेदक श्री राहुल गुप्ता पिता श्री राजकुमार गुप्ता निवासी नेहरु नगर रीवा (म0प्र0) के आवेदन अनुसार भूखण्ड क्रमांक 2/9/167 सी, का नामान्तरण श्रीमती प्रियंका गुप्ता पति श्री प्रशांत गुप्ता निवासी नेहरु नगर रीवा (म0प्र0) के नाम करने की कार्यवाही की जावेगी।

उपायुक्त (राजस्व)
नगर पालिक निगम
रीवा (म.प्र)

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला-सतना म.प्र.

क्र.219/प्रवा/अपर कले/26
सतना, दिनांक 23.06.2026

// सार्वजनिक सूचना//
विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत
--00--

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सचिन बाल्मीक पिता श्री बबलू बाल्मीक (अविवाहित), उम्र 33 वर्ष (05.06.1992), व्यवसाय मजदूरी स्थायी निवासी वार्ड नं. 28 गली नं. 16 राजेन्द्र नगर खूंथी सतना, थाना सिटी कोतवाली तहसील रघुराजनगर, जिला सतना म.प्र. पिनकोड 485001 आवेदिका आरती केवट पुत्री श्री राजू केवट (अविवाहित) उम्र 25वर्ष (10.10.2000), व्यवसाय गृहणी स्थायी निवासी वार्ड नं. 28. गली नं. 14 राजेन्द्र नगर सतना, थाना सिटी कोतवाली, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) पिनकोड 485001 के द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के अंतर्गत विशेष विवाह अनुष्ठापन हेतु आवेदन दिनांक 12.06.2026 को प्रस्तुत किया गया है.

उक्त प्रस्तावित विवाह अनुष्ठापन के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति लिखित रूप में इस न्यायालय में दिनांक 27.07.2026 को या इसके पूर्व न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 23.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

अपर कलेक्टर
एवं विशेष विवाह अधिकारी
जिला सतना (म.प्र.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (ग्रामीण) तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

क्र.84/ अनु. अधि./ सतना,
दिनांक 14.07.2026

1. कौशिल्या वर्मा पुत्री स्व. दुलीचंद चौधरी पत्नी स्व. छोटेलाल वर्मा निवासी माधवगढ़ तहसीलरघुराजनगर जिला सतना म.प्र.
2. सन्नो वर्मा पुत्री स्व. दुलीचंद चौधरी पत्नी स्व. सुरेश वर्मा निवासी खजुरी टोला हाल निवास पुष्पराज कालोनी सतना जिला सतना म.प्र.
3. माया वर्मा पुत्री स्व. दुलीचंद्र चौधरी पत्नी रामफल वर्मा निवासी वार्ड नं. 18 करियापानी मैहर तहसील मैहर म.प्र........... अपीलार्थीगण

बनाम

1. पुरुषोत्तम चौधरी पिता स्व. दुलीचन्द्र चौधरी. 2. उर्मिला चौधरी पत्नी स्व. रामाश्रय चौधरी 3. विकास वर्मा पिता स्व. रामाश्रय चौधरी 4. रेशमा वर्मा पुत्री स्व. रामाश्रय चौधरी 5.रचना वर्मा पुत्री स्व. रामाश्रय चौधरी 6. रुचि वर्मा पुत्री स्व. रामाश्रय चौधरी
सभी निवासी खजुरी टोला सतना जिला सतना म.प्र.....................रेस्पाडेन्टगण

प्रेम विज्ञप्ति

एतद द्वारा सर्वसंबंधित जन को सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त हाटी के रा.प्र.क्र. 0347/अ-6/24-25 आदेश दिनांक 30.07.2024 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है. अपील प्रकरण में अनावेदकगण 02. ता. 06 को विधिवत सूचना तामील नहीं है.

इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 17.08.2026 समय 12.00 बजे दोपहर स्वतः अथवा अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष समर्थन करें. उपस्थित न होने व पक्ष समर्थन के अभाव में आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करतेहुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी. बाद म्याद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी.

आज दिनांक 14.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर/पद मुद्रा से जारी किया गया है.

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.)

कार्यालय सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेन्ट लिमिटेड, सतना (म.प्र.)

क्रमांक SSCDL/2025/Misc/120/581 — सतना, दिनांक 15.07.2026

-: निविदा सूचना:-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेन्ट लिमिटेड के द्वारा आई.एस.बी.टी. में निर्मित 35 भूतल एवं 11 प्रथम तल कुल 46 कमर्शियल स्पपेसेस एवं 11 भूतल एवं 09 प्रथम तल कुल 20 दुकानों के आवंटन प्रीमियम एवं किराये पर म.प्र. अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 एवं कार्यालय शर्तों पर 30 वर्षों के लिये यथास्थिति के लि ये लीज पर आवंटन हेतु लम्प-सम्प दर पर आनलाईन निविदा (2nd & 3rd Call) बुलायी जा रही है. निविदा विस्तृत विवरण बेबसाइट https:// www.mptenders.gov.in में पंजीकृत हो, इस निविदा में दरें प्रस्तुत कर सकते हैं:-

क्र.	एन.आई.टी.क्र.	टे.क्र.	नाम/स्थान	भूतल/प्रथम तल	कमर्शियस्पेसे/दुकान	दुकान क्रमांक	साईज वर्ग मीटर	निर्धारित प्रीमियम	वार्षिक भूभाटक/किराया	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	आरक्षण की स्थिति	टेन्डर कॉल संख्या
1	SSCDL/2025/Misc/120/545	2025_UAD_461284_1	आई. एस. बी.टी में निर्मित कमर्शियल स्पेसेस एवं दुकान	भूतल	कमर्शियल स्पेसेस	A-2	9.45	755244.00	शर्तोंअनुसार	188811	1000	अनारक्षित	3rd
2	SSCDL/2025/Misc/120/546	2025_UAD_461286_1		भूतल	कमर्शियल स्पेसेस	A-4	9.36	748051.20	शर्तोंअनुसार	187013	1000	अनारक्षित	3rd
3	SSCDL/2025/Misc/120/547	2025_UAD_461287_1		भूतल	कमर्शियल स्पेसेस	A-7	9.42	752846.40	शर्तोंअनुसार	188212	1000	अनारक्षित	3rd
4	SSCDL/2025/Misc/120/548	2025_UAD_461289_1		भूतल	कमर्शियल स्पेसेस	A-8	8.95	715204.08	शर्तोंअनुसार	178801	1000	अनारक्षित	3rd
5	SSCDL/2025/Misc/120/549	2025_UAD_461291_1		भूतल	कमर्शियल स्पेसेस	B-6	9.42	752846.40	शर्तोंअनुसार	188212	1000	अनारक्षित	3rd
6	SSCDL/2025/Misc/120/550	2025_UAD_461293_1		भूतल	कमर्शियल स्पेसेस	B-7	8.98	717481.80	शर्तोंअनुसार	179371	1000	अनारक्षित	3rd
7	SSCDL/2025/Misc/120/551	2025_UAD_461294_1		भूतल	कमर्शियल स्पेसेस	B-13	9.56	763875.36	शर्तोंअनुसार	190969	1000	अनारक्षित	3rd
8	SSCDL/2025/Misc/120/552	2025_UAD_461299_1		भूतल	कमर्शियल स्पेसेस	B-17	9.95	795507.70	शर्तोंअनुसार	198877	1000	अनारक्षित	3rd
9	SSCDL/2025/Misc/120/553	2025_UAD_461301_1		भूतल	कमर्शियल स्पेसेस	B-18	9.14	730069.20	शर्तोंअनुसार	182518	1000	अनारक्षित	3rd
10	SSCDL/2025/Misc/120/554	2025_UAD_461303_1		भूतल	कमर्शियल स्पेसेस	B-20	8.7	695112.19	शर्तोंअनुसार	173778	1000	अनुसूचित जनजाति महिला	3rd
11	SSCDL/2025/Misc/120/555	2025_UAD_461305_1		भूतल	कमर्शियल स्पेसेस	C-2	9.86	787691.52	शर्तोंअनुसार	196923	1000	अनारक्षित	3rd
12	SSCDL/2025/Misc/120/556	2025_UAD_461306_1		भूतल	कमर्शियल स्पेसेस	C-3	8.62	689230.08	शर्तोंअनुसार	172308	1000	अनारक्षित	3rd
13	SSCDL/2025/Misc/120/557	2025_UAD_461307_1		भूतल	कमर्शियल स्पेसेस	C-5	9.51	760039.20	शर्तोंअनुसार	190010	1000	अनुसूचित जाति (ओपेन)	3rd
14	SSCDL/2025/Misc/120/558	2025_UAD_461309_1		भूतल	कमर्शियल स्पेसेस	C-6	10.05	803108.09	शर्तोंअनुसार	200777	1000	अनुसूचित जाति (ओपेन)	3rd
15	SSCDL/2025/Misc/120/559	2025_UAD_461310_1		प्रथमतल	कमर्शियल स्पेसेस	E-1	9.6	767232.00	शर्तोंअनुसार	191808	1000	अनारक्षित	3rd
16	SSCDL/2025/Misc/120/560	2025_UAD_461311_1		प्रथमतल	कमर्शियल स्पेसेस	E-2	10.24	818380.80	शर्तोंअनुसार	204596	1000	अनारक्षित	3rd
17	SSCDL/2025/Misc/120/561	2025_UAD_461281_1		प्रथमतल	कमर्शियल स्पेसेस	E-3	9.28	741657.60	शर्तोंअनुसार	185415	1000	अनारक्षित	3rd
18	SSCDL/2025/Misc/120/562	2025_UAD_461280_1		प्रथमतल	कमर्शियल स्पेसेस	E-6	8.27	660538.80	शर्तोंअनुसार	165135	1000	अनारक्षित	3rd
19	SSCDL/2025/Misc/120/563	2025_UAD_461267_1		प्रथमतल	कमर्शियल स्पेसेस	F-17	9.57	765106.13	शर्तोंअनुसार	191277	1000	अनारक्षित	3rd
20	SSCDL/2025/Misc/120/564	2025_UAD_461262_1		प्रथमतल	कमर्शियल स्पेसेस	F-18	9.67	772706.52	शर्तोंअनुसार	193177	1000	अनारक्षित	3rd
21	SSCDL/2025/Misc/120/565	2025_UAD_461257_1		प्रथमतल	कमर्शियल स्पेसेस	F-19	9.51	760039.20	शर्तोंअनुसार	190010	1000	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओपेन)	3rd
22	SSCDL/2025/Misc/120/566	2025_UAD_461256_1		प्रथमतल	कमर्शियल स्पेसेस	F-20	9.67	772706.52	शर्तोंअनुसार	193177	1000	अनारक्षित	3rd
23	SSCDL/2025/Misc/120/567	2025_UAD_461255_1		प्रथमतल	कमर्शियल स्पेसेस	F-21	9.51	760039.20	शर्तोंअनुसार	190010	1000	अनारक्षित	3rd
24	SSCDL/2025/Misc/120/568	2025_UAD_461254_1		भूतल	दुकान	C-11	21.85	1718505.47	शर्तोंअनुसार	455377	1000	अनुसूचित जनजाति महिला	3rd
25	SSCDL/2025/Misc/120/569	2025_UAD_461250_1		प्रथमतल	दुकान	D-1	8.98	731845.80	शर्तोंअनुसार	182962	1000	अनारक्षित	3rd
26	SSCDL/2025/Misc/120/570	2025_UAD_461249_1		प्रथमतल	दुकान	D-3	9.45	770364.00	शर्तोंअनुसार	192591	1000	अनुसूचित जाति (ओपेन)	3rd
27	SSCDL/2025/Misc/120/571	2025_UAD_461248_1		प्रथमतल	दुकान	D-6	8.76	714213.02	शर्तोंअनुसार	178554	1000	अनारक्षित	3rd
28	SSCDL/2025/Misc/120/572	2025_UAD_461247_1		प्रथमतल	दुकान	D-8	8.27	673762.80	शर्तोंअनुसार	168441	1000	अनारक्षित	3rd
29	SSCDL/2025/Misc/120/573	2026_UAD_520705_1		प्रथमतल	दुकान	E-7	9.45	770364.00	शर्तोंअनुसार	192591	1000	अनारक्षित	3rd
30	SSCDL/2025/Misc/120/544	2025_UAD_461282_1		प्रथमतल	कमर्शियल स्पेसेस	E-4	8.55	683316.00	शर्तोंअनुसार	170829	1000	अनारक्षित	2nd

1. केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के पोर्टल की बेबसाइट https://www.mptenders.gov.in में पंजीयकृत होना अनिवार्य है.
2. निविदा प्रपत्र की खरीदी आनलाइन बेबसाइट https://www.mptenders.gov.in आनलाइन पेमेन्ट एवं पोर्टल सर्विस चार्ज के द्वारा निर्धारित दिनांक एवं समय तक खरीदी जा सकती है.
3. दुकानों को विक्रय हेतु आरक्षित वर्ग की दुकानों की प्रस्थापना के साथ संबंधित आरक्षित वर्ग का होने से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा. आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न न होने अथवा संलग्न प्रमाण पत्र संदिग्ध होने पर प्रस्थापना ग्राहय न होगी.
4. प्रस्थापना में भाग लेने हेतु अमानत राशि प्रीमियम की राशि का 25 प्रतिशत जो Online payment through mptenders पोर्टल जमा करना होगा.
5. प्रस्थापना स्वीकार करने या न करने का अधिकार सतना स्मार्ट सिटी डेवलमेन्ट लिमिटेड सतना को होगा.
6. अन्य विस्तृत जानकारी/शर्तें सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेन्ट लिमिटेड सतना से कार्यालयीन समय पर प्राप्त एवं देखी जा सकती है.
7. निविदाकार द्वारा निविदा में भाग लेने हेतु:-
(क) निविदा प्रपत्र का मूल्य आनलाइन पेमेन्ट द्वारा किया जायेगा.
(ख) निविदा फार्म के साथ स्व प्रमाणित घोषणा पत्र राशि रुपये 100/- के स्टाम्प पर प्रिंट करावाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
(ग) निविदा की समय सारणी सूची (key dates) में देखी जा सकती है.
(घ) निविदा भरने की अंतिम तिथि दिनांक 17.08.2026 समय 15.00 Hrs तक है.
8. समस्त आनलाइन निविदा प्रपत्रों में निविदाकार को डिजिटल सिगनेचर द्वारा हस्ताक्षर करना होगा.
9. नोट :- निविदा संबंधित ई-टेन्जरिंग की विस्तृत जानकारी इलेक्ट्रानिक सिस्टम के गाइड लाइन पर पोर्टल की बेबसाइट https://www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेन्ट लिमिटेड
सतना (म.प्र.)